जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
तृतीय तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Ref. No: BRLPS/Proj.-SD/870/15/7040 Date: 31.03.2023

कार्यालय आदेश

नशा-मुक्ति अभियान

(1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक)

मद्य निषेध विभाग द्वारा 3722 ग्राम/टोलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर वर्तमान में परंपरागत रूप से देशी शराब/जहरीली शराब की समस्या देखी गयी है और शराब बनाने एवं पीने का प्रचलन अत्यधिक है। ऐसे सूचीबद्ध ग्राम/टोलों में जीविका संपोषित ग्राम संगठनों तथा मद्य निषेध विभाग द्वारा सघन रूप से नशा-मुक्ति अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

नशा-मुक्ति अभियान अंतर्गत मद्य निषेध विभाग द्वारा चिन्हित ग्राम/टोलों में विभाग के साथ जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से **1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023** तक नशा मुक्ति का सघन प्रचार-प्रसार तथा नशा के दुष्प्रभावों से सम्बंधित जागरूकता रैली/ प्रभात फेरी, सायंकालीन चौपाल, नुक्कड़ नाटक, दीवाल लेखन,पैम्फलेट वितरण, पोस्टर आदि का उपयोग किया जाना है।

नशा-मुक्ति अभियान हेतु संबन्धित प्रखंडों के प्रखंड परियोजना प्रबन्धकों द्वारा संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठनों के माध्यम से ग्राम/टोला में 2 सदस्यों (1 सामुदायिक संसाधन सेवी तथा 1 जीविका मित्र/ बुककीपर/अन्य कैडर) की पहचान की जाएगी , जिनके पास इंटरनेट की सुविधा के साथ अपना स्मार्ट फोन तथा नशा मुक्ति हेतु कार्य करने को इच्छुक होना चाहिए ।

सामुदायिक सेवियों द्वारा अभियान के दौरान नशा-मुक्ति के प्रति सामुदायिक उत्प्रेरण का कार्य किया जाएगा तथा सामुदायिक संगठनों के सहयोग से जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए चिन्हित ग्राम/टोलों को नशा-मुक्त टोला बनाने हेतु कार्य किया जाएगा । इस कार्य में सभी प्रखंड परियोजना कर्मी सहयोग करेंगे।

जिला स्तर पर जीविका जिला इकाई में कार्यरत प्रबन्धक-सामाजिक विकास एवं प्रबंधक- संचार इस अभियान के नोडल कर्मी होंगे तथा अभियान के दौरान मद्य निषेध विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रखंड इकाइयों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

<u>नशा-मुक्ति अभियान के दौरान प्रखंड परियोजना इकाई के सहयोग से सामुदायिक संगठनों के स्तर पर संपादित किए जाने वाले कार्य</u>

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	जिम्मेदारी
1	सामुदायिक संगठनों द्वारा शराब बनाने एवं पीने से जुड़े परिवारों की सूचि तैयार करना एवं इन परिवारों से जुड़े समूह सदस्यों के साथ बैठक करना।	सामुदायिक समन्वयक
2	सभी चिन्हित टोलों के ग्राम संगठन/संकुल संघ के कार्यकारी सदस्यों के नेतृत्व में नशा मुक्ति के दुष्प्रभावों से सम्बंधित जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन करना।	सामुदायिक समन्वयक
3	शराब बनाने एवं पीने से जुड़े परिवारों की सूचि के अनुसार समूह सदस्यों एवं समूह से बाहर के परिवारों के साथ बैठक एवं गृह भ्रमण करना।	सामुदायिक समन्वयक

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	जिम्मेदारी
4	जागरूकता अभियान से संबन्धित पोस्टर, पैम्फलेट, दीवाल लेखन को टोलो के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करना /चिपकाना।	सामुदायिक समन्वयक
5	कक्षा 6-12 के विद्यार्थियों के साथ नशा के दुष्प्रभावों एवं परिवार को होने वाले हानियों को बताना।	सामुदायिक समन्वयक
6	उत्पाद विभाग एवं जीविका द्वारा संयुक्त रूप से संध्या चौपाल का आयोजन टोला स्तर पर करना।	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
7	नुक्कड़ नाटक एवं विडियो फिल्म के माध्यम से सदस्यों को नशा मुक्ति के दुष्प्रभावों से सम्बंधित जागरूक करना।	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
8	सामुदायिक संगठनों के विभिन बैठकों में नशा के दुष्प्रभावों पर चर्चा एवं विशेष संकल्प सभा का आयोजन करना।	क्षेत्रीय समन्वयक
9	ग्राम संगठन द्वारा नशा मुक्त परिवार के घर पर प्रत्येक सप्ताह रंगोली बनाकर परिवार को प्रोत्साहित करना।	क्षेत्रीय समन्वयक

नशा-मुक्ति अभियान के दौरान प्रत्येक चिन्हित टोलों में नशा-मुक्ति अभियान हेतु नामित सामुदायिक सेवियों द्वारा दिन-वार निम्न कार्यों को संपादित किया जाना है :-

ग्राम/टोला स्तर पर नामित सामुदायिक सेवी	दिन	कार्य	जिम्मेदारी
सामुदायिक सेवी -1	सोमवार	1. प्रभात फेरी का आयोजन 2. जागरूकता सभा/रैली का आयोजन करना	क्षेत्रीय समन्वयक/ सामुदायिक समन्वयक
	मंगलवार	1. संध्या चौपाल का आयोजन करना 2. जन-समुदायों के साथ विशेष बैठक	
	बुधवार	1. जागरूकता रैली का आयोजन करना 2. विशेष संकल्प सभा का आयोजन करना	
सामुदायिक सेवी -2	गुरुवार	1. नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना 2. पिको प्रॉजेक्टर के माध्यम से जन-जागरूकता हेतु विडियो फिल्म का प्रदर्शन करना	क्षेत्रीय समन्वयक/ सामुदायिक समन्वयक
	शुक्रवार	1. समूह सदस्यों के सहयोग से घर-घर भ्रमण कर लोगो को नशा-मुक्ति के प्रति जागरूक करना	
	शनिवार	2. टोला/ ग्राम सभा का आयोजन करना 3. समूह सदस्यों के सहयोग से रंगोली बनाकर नशा मुक्त परिवारों को प्रोत्साहन करना	

सामुदायिक सेवी अपने किये गए कार्यों का दैनिक रूप से MIS में (फोटो/विडियो सहित) एंट्री सुनिश्चित करेंगे |

नशा-मुक्ति अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्य :

मद्य निषेध विभाग द्वारा अभियान के दौरान जन-जागरूकता हेतु विडियो,पैम्फलेट तथा पोस्टर की छपाई एवं दीवाल लेखन के कार्य के साथ-साथ प्रचार वाहन (सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली सहित) उपलब्ध कराया जाना है। संबन्धित जिले के जिला परियोजना प्रबन्धक (जीविका) द्वारा जिले के उत्पाद अधीक्षक के साथ समनव्य स्थापित कर प्राप्त विडियो,पैम्फलेट तथा पोस्टर की उपलब्धता सामुदायिक संगठनों के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

प्रखंड जीविका इकाई द्वारा अभियान के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु अपने कर्मियों, सम्बंधित ग्राम संगठनों और चयनित सामुदायिक सेवियों का ऊन्मुखिकरण किया जायेगा | मद्य निषेध विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए विडियो,पैम्फलेट तथा पोस्टर आदि का सम्बंधित सामुदायिक संगठनों में वितरण तथा अभियान से सम्बंधित दीवार लेखन करवाया जायेगा | प्रखंड में आने वाले साथ ही चलाये जा रहे अभियान की MIS एंट्री (फोटो/विडियो सहित) सामुदायिक सेवी द्वारा रोज करवाया जायेगा |

ग्राम संगठन अपने क्षेत्र में चलाये जा रहे अभियान में यथोचित सहयोग प्रदान करेंगे |

अभियान के दौरान मद्य निषेध विभाग एवं जीविका द्वारा नशा-मुक्त टोला बनाने हेतु संयुक्त प्रयास किया जाना है, अभियान के सफलता हेतु साप्ताहिक रूप से एक जिला परियोजना प्रबन्धक तथा जिले के उत्पाद अधीक्षक संबन्धित कर्मियों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे तथा अभियान के प्रगति की समीक्षा करेंगे।

जीविका संपोषित संगठनों द्वारा टोला को नशामुक्त अभियान के सफलता पूर्वक संचालनोपरांत सामुदायिक संगठनों द्वारा शराब बनाने एवं पीने से मुक्त हुए ग्रामों/टोलो में नशा मुक्ति की निरंतरता सुनिश्चित किया जायेगा।

जिले के उत्पाद अधीक्षक द्वारा नशामुक्त हुए टोलों का भौतिक निरीक्षण तथा टोला को नशामुक्त (**संलग्न अनुलग्नक "क" के निहित मापदंडों के अनुरूप**) घोषित किया जाना है। नशामुक्त ग्राम/ टोलों के सम्बंधित ग्राम संगठनों एवं नामित सामुदायिक सेवियों को जीविका तथा मद्य निषेध विभाग द्वारा **"नशा-मुक्ति दिवस"** 26 नवम्बर 23 को सम्मानित किया जाएगा।

अभियान के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निम्नवत है :

क्रम	विवरण	इकाई	अभियुक्ति	समय-सीमा
1	मोबाइल आधारित App पर प्रशिक्षण (ऑनलाइन माध्यम से)			
1.क	जिला परियोजना कर्मियों को	सभी जिलों में	परियोजना कर्मियों के गैर आवासीय प्रशिक्षण एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।	31 मार्च 2023 (पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 02 तक)
1.ख	प्रखंड परियोजना कर्मियों को	सभी प्रखंडों में	परियोजना कर्मियों के गैर आवासीय प्रशिक्षण एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।	
2.	2 सदस्यीय टीम (सामुदायिक संगठनों के लीडर सहित) का उन्मुखीकरण	सभी जिलों में	जीविका की प्रशिक्षण की इकाई लागत के अनुसार एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत सामुदायिक संगठकों के गैर आवासीय प्रशिक्षण हेड में बुक किया जाएगा।	03 अप्रैल 2023 तक
3.	2 सदस्यीय टीम को मानदेय	प्रति टीम	टीम के प्रत्येक सदस्य को जीविका के सी.आर.पी. पॉलिसी के अनुसार प्रतिदिन का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भुगतान पर हुए व्यय को एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के सी.आर.पी. ड्राइव हेड में बुक किया जाएगा।	अंतिम कार्य दिवस समाप्ति से 15 दिनों के भीतर

अभियान के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित बजट निम्नवत है :

क्र. सं.	सूचकांक	इकाई	बजट प्रति इकाई	जिम्मेवारी
1	नामित सामुदायिक सेवियों का मानदेय (2 सामुदायिक सेवी / टोला)	7444 (3722 ग्राम/ टोलों में)	नामित प्रत्येक सदस्य को जीविका के सी.आर.पी. पॉलिसी के अनुसार प्रतिदिन (अधिकतम 48 कार्य दिवस) का मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
2	प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री – नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी तथा बैनर इत्यादि	3722	BPIU के पास अभियान के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु सामाग्री की उपलब्धता हेतु 5000/- रु० प्रति ग्राम/ टोला व्यव करने का प्रावधान होगा । (कार्य के साक्ष्य (फोटो/विडियो) का संरक्षण BPIU में होगा)	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
3	ग्राम/टोला को नशा मुक्त करने के लिए प्रोत्साहन	ग्राम संगठन, सामुदायिक सेवी एवं जीविका कर्मियों को सम्मानित किया जायेगा		जिला परियोजना प्रबंधक

संबन्धित जिला परियोजना प्रबन्धकों को निदेशित किया जाता है कि वे नशा-मुक्ति अभियान हेतु निर्धारित कार्यों/आयोजनों को निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए ग्राम/टोलों को नशा-मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे तथा संबन्धित कर्मियों तथा विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियान की सफलता सुनिश्चित करेंगे । अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तर से श्री नीरज कुमार सिंह (परियोजना प्रबंधक– अधिकारिता), श्री पवन कुमार प्रियदर्शी (परियोजना प्रबंधक-संचार) एवं श्री रतीश मोहन (परियोजना प्रबंधक-सामाजिक सुरक्षा) नोडल पदाधिकारी होंगे।

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
2. सभी राज्य स्तरीय कर्मियों को सूचनार्थ।
3. सम्बंधित संचिका एवं आई० टी० अनुभाग

ज्ञापांक: BRLPS/Proj-SD/870/15/7040 दिनांक: 31.03.2023

अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधक महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ।

31/03/23

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

अनुलग्नक-"क"

जिला उत्पाद अधीक्षक द्वारा ग्राम / टोलों के भ्रमण अंतर्गत संभावित गतिविधियाँ सम्बंधित सुझाव

टोला/ ग्राम का नामः

पंचायत कानामः

प्रखंड कानामः

जिला का नामः

क्र० सं०	गतिविधियाँ	अभ्युक्ति
1	सामुदायिक संगठनों के बैठक में परंपरागत रूप से देशी शराब/जहरीली शराब से जुड़े परिवारों से सम्बंधित चर्चा एवं वर्तमान स्थिति अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर अभ्युक्ति।	
2	ग्राम / टोलो के सम्मानित नागरिकों से परंपरागत रूप से देशी शराब / जहरीली शराब से जुड़े परिवारों के वर्तमान स्थिति की जानकारी।	

(जिला उत्पाद अधीक्षक का हस्ताक्षर)